

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान माना बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 133/2025

निर्णय दिनांक 07/11/2025

माना पत्नि मदरू खां जाति कलाल निवासी ढाणी छतुसिंह तहसील तारानगर जिला चूरु।

-प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

-::निर्णय::-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी छतुसिंह तहसील तारानगर के खाता संख्या 55 के खसरा सं. 275 तादादी 0.0253 हैक्ट, ख.नं. 585/259 तादादी 0.6737 हैक्ट. कुल तादादी 0.6990 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त खसराजात रोही के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मानाबानो पत्नि बदरूखां अंकित है जो गलत है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम माना पत्नि मदरू खां है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जनाधार कार्ड आदि में नाम माना पत्नि मदरू खां है। राजस्व रिकॉर्ड में भिन्न नाम होने के कारण प्रार्थी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। इसलिये प्रार्थी उक्त खसराजात की जमाबंदी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहता है। इसलिए प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। अतः उक्त खसराजात कृषिभूमि में प्रार्थी का नाम मानाबानो पत्नि बदरूखां के बजाय माना पत्नि मदरू खां किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने प्रार्थी का नाम मानाबानो पत्नि बदरूखां व माना पत्नि मदरू खां दोनों नाम एक ही व्यक्ति का होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जनाधार कार्ड में प्रार्थी का नाम माना पत्नि मदरू खां पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम मानाबानो पत्नि बदरूखां अंकित है। नाम में भिन्नता से प्रार्थी को परेशानी होना सम्भव है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही मौजा ढाणी छतुसिंह तहसील तारानगर के खाता संख्या 55 के खसरा सं. 275 तादादी 0.0253 हैक्ट, ख.नं. 585/259 तादादी 0.6737 हैक्ट. कुल तादादी 0.6990 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम मानाबानो पत्नि बदरूखां Delete कर इसके स्थान पर माना पत्नि मदरू खां अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



*Rajendra*  
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)